न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/58/2021	08–10–2021	19–07–2023

01– जगदीश पुत्र पेमाराम जाति मीणा निवासी ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

02– रामस्वरूप पुत्र पेमाराम जाति मीणा निवासी ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

03– कैलाश पुत्र पेमाराम जाति मीणा निवासी ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

– अपीलाण्टान

बनाम

01– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 20.06.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 149/2017

उपस्थितः–

01–श्री भूपेन्द्र खटाणा –वकील अपीलाण्ट

02– श्री दीपक मीना – वकील रेस्पोडेन्टस

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी (अलवर) के आदेश दिनांक 20.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्टान को सम्वत 2074 में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 5.69 किस्म गैर मुमकिन राडा में से रकबा 1.86 है0 ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी पर तिल बाजरा की फसल काश्त कर/खाई खोदकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करार दिया जाकर आराजी मुतनाजा से बेदखल करने का हुक्म दिया व दो माह के सिविल कारावास से दण्डित किया व लगान की 50 गुणा पेनल्टी आरोपित करने का निर्णय पारित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्टान दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टान ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाण्टान को कभी भी तहत अदालत द्वारा या पटवारी हल्का द्वारा बेदखल नहीं किया है। अपीलाण्टान का कब्जा अरसे –दराज से बिला किसी रोक – टोक के चला आ रहा है, व आराजी मुतनाजा पेनल्टी भी काफी सालों से जमा करा रहे हैं। अपीलाण्टान ने उक्त आराजी को काफी मेहनत करके व काफी पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। अपीलाण्टान के नाम तहत अदालत द्वारा जारी कोई नोटिस प्राप्त नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हुआ, न अपीलाण्टान ने नोटिस लेने से इनकार किया व न ही अपीलाण्टान तहत अदालत में हाजिर हुए। समस्त कार्यवाही गलत तरीके से की गयी है। तहत अदालत का आदेश भी विरोधाभाषी है। जिसमें अपीलाण्टान को अनुपस्थित भी दिखा रखा है, और प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जा होना स्वीकार करना भी बता रखा है। जिससे भी स्पष्ट है कि तहत अदालत ने बिना अपीलाण्टान को सुने व बिना पत्रावली को गौर किये व बिना अपीलाण्टान को साक्ष्य का अवसर दिये न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, कि अपीलाण्टान को पूर्व में बेदखल किया हो और अपीलाण्टान द्वारा पुनः कब्जा किया हो। अपीलाण्टान को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर दिया व सिविल कारावास भेज दिया व पेनल्टी वसूल कर ली तो अपीलाण्टान की बर्बादी का बाईस है। अपीलाण्टान भूमिहीन काश्तकार गरीब बाल बच्चेदार व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। भूमि की किस्म भी ऐसी नहीं है जो नियमन करने के लिए कोई कानूनी अड़चन हो। काफी मेहनत व खर्चे से काबिल काश्त बनाया है। भूमि नियमन होने योग्य है। तथा हम अपीलान्टान विनियमन की राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। तहत अदालत ने निर्णय मिन अपीलाण्ट के बाला–बाला बिला अपीलाण्टान को पैरवी/जवाब का मौका दिये व बिला कब्जा देखे महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करके दिनांक 20.06.2018 को निर्णय पारित किया है। निर्णय की जानकारी हम अपीलाण्टान को दिनांक 24.08.2018 को हल्का पटवारी ने गांव के व्यक्तियों के सामने कहा कि अपीलाण्टान के विरूद्ध चुपचाप में कार्यवाही कर बेदखल करने की कार्यवाही कर दी है। जिस पर हम अपीलाण्टान को उसी दिन गांव के व्यक्तियों द्वारा जानकारी मिली तो उसी दिन अपीलाण्टान ने नकल फैसला की प्रति लेने के लिए संबंधित न्यायालय में जाकर जानकारी की व नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल फैसला मिलने पर कानूनी – सलाह व मशवरा लिया जाकर आवश्यक इंतजाम कर अपील बिला देरी के पेश की गयी है। अपील करने में हुयी देरी काबिजे माफी है। पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है, अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून अधिनियम पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 20.06.2018 मंसुख फरमाया जावे व आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 835 रकबा 1.86 है0 किस्म गैर मुमकिन राडा वाके ग्राम अंगारी, तह0 थानागाजी अपीलाण्टान को विनियमन किये जाने के निर्देश के साथ भू आवंटन कमेटी को नियमन करने की सिफारिश की जावे व सजाए जेल व जुर्माने का आदेश निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान नकारते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा सम्वत 2074 में ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 5.69 है0 में से 1.86 है0 किस्म गैर मुमकिन राडा की भूमि में पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर तिल बाजरा की फसल काश्त कर/खाई खोदकर अतिक्रमी के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी/बेदखली कायम किये जाने का विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर मुमकिन राडा जो भारत सरकार की अधिसूचना दिनाक 07.05.1992 में प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में आती है, ऐसी आराजी का किसी को भी आंवटन/नियमन/अवैध कब्जा किये जाने का अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस का मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 14.09.2018 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.06.2018 की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनाक 24.08.2018 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलाण्टान का कब्जा अरसे –दराज से चला आ रहा है, जिसे अपीलाण्टान ने उक्त आराजी को काफी मेहनत करके व काफी पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। आराजी मुतनाजा पेनल्टी भी काफी सालों से जमा करा रहे हैं, जिसके आधार पर उक्त आराजीयात को अपीलाण्टान को विनियमन किया जावे। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया तहत अदालत के सम्क्ष पटवारी हल्का अंगारी द्वारा दिनाक 11.09.2017 वर्णित आराजी पर अतिक्रमी द्वारा किये गये पश्चातवर्ती अवैध अतिक्रमण के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी, प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के विरूद्व नोटिस जारी कर वास्ते जवाब हेतु दिनाक 29.09.2017 तारीख पेशी नियत की गयी। जारी नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की जाकर चस्पादगी की रिपोर्ट पेश हुई अतिक्रमी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर पुनः नोटिस जारी होकर आगामी तारीख पेशी दिनाक 05.10.2017 नियत की गयी। जारी नोटिसो तामील रिपोर्ट कमशः जगदीश की तामील उनकी पत्नी रामप्यारी, रामस्वरूप की तामील रिपोर्ट उनकी पत्नी धौली देवी, कैलाश की तामील रिपोट उनकी पत्नी भग्गो देवी को पुख्ता तामील कराये जाने के बावजुद भी अतिक्रमी तहत अदालत के सम्क्ष उपस्थित नही आये न ही कोई जवाब/साक्ष्य पेश किया जिसके आधार पर बयान पटवारी के दर्ज कराये जाकर अतिकमी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिकमण सिद्व होने पर विधिवत कार्यवही पूर्ण कर दिनाक 20.06.2018 को निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा स्वंय ही स्वीकार किया गया है, कि आराजी पर उनका कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा है, साथ ही समय–समय पर पैनन्टी की राशि भी अदा करने का कथन किया गया है। जिससे अपीलान्ट का आराजी पर अतिक्रमण सिद्व होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि प्रकरण में वर्णित आराजीयाता की किस्म गैर मुमकिन राडा है, जो भारत सरकार की अधिसूचना दिनाक 07.05.1992 में प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में आती है, ऐसी आराजी का किसी को भी आंवटन/नियमन/अवैध कब्जा किये जाने का अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.06.2018 न्यायोचित है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 20.06.2018 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19–07–2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)